Office of Elect. Consumer Grievances Redressal Forum
Uttarakhand Power Corporation Ltd.
Electricity Testing Laboratory Campus
Syalidhar, Almora – 263601
E-mail - cgrfalmora@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

कार्यालय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड
विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला परिसर
स्यालीधार, अल्मोड़ा – 263601
ई-मेल – cgrfalmora@gmail.com

उपस्थिति

1–चामू सिंह गस्याल, सदस्य न्यायिक
2–ओ०पी० दीक्षित, सदस्य तकनीकी
3–पुष्कर सिंह रावत, सदस्य उपभोक्ता

परिवाद संख्या – 19/2023–24

श्री आनन्द बल्लभ पाण्डे
निकट हनुमान मंदिर,
डुगखानी, पिथौरागढ़। — परिवादी

बनाम्

विपक्षी

अधिशासी अभियंता
विद्युत वितरण खण्ड
पिथौरागढ़

निर्णय

1. वादी ने अपनी शिकायत में बताया है कि उनके घर के पास दो पेड़ हैं, जिनके बीच से कई लाइनें गुजर रही हैं जिससे इन पेड़ों के द्वारा दुर्घटना होने का भय बना रहता है। उन्होंने इन पेड़ों की कटाई छंटाई कराने का अनुरोध किया है। प्रकरण को मंच के कार्यालय पत्र संख्या 276 दिनांक 12.09.2023 के द्वारा शिकायतकर्ता के प्रार्थनापत्र की प्रतिलिपि के साथ अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड पिथौरागढ़ को तथ्यात्मक विवरणों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये भेजा गया।
2. मंच की अंतिम सुनवाई तिथि दिनांक 03.11.2023 में विभाग की तरफ से उपस्थित श्री अमित चंद्रा उपखण्ड अधिकारी ने पत्र संख्या 2274 दिनांक 17.10.2023 के द्वारा बताया कि वादी के मकान के पास से गुजर रही विद्युत लाइन के संपर्क में आने वाले पेड़ों की शाखाओं की लॉपिंग–चॉपिंग कर वादी की समस्या का निराकरण कर दिया है। उपरोक्त पर वादी श्री आनंद पाण्डे से उनके दूरभाष नंबर 9897774676 पर बात कर पुष्टि कर ली गई है।

आदेश

विभाग द्वारा समस्या के निराकरण तथा वादी द्वारा अपनी संतुष्टि व्यक्त करने के दृष्टिगत प्रकरण को निस्तारित किया जाता है।
उभय पक्ष वाद को लेकर एक दूसरे से किसी तरह का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी 30 दिन के भीतर विद्युत लोकपाल, 80 वसन्त विहार देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील कर सकते हैं। आज यह निर्णय खुले फॉरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक – 03.11.2023

पुष्कर सिंह रावत सदस्य उपभोक्ता	ओ०पी० दीक्षित सदस्य तकनीकी	चामू सिंह गस्याल सदस्य न्यायिक

Office of Elect. Consumer Grievances Redressal Forum
Uttarakhand Power Corporation Ltd.
Electricity Testing Laboratory Campus
Syalidhar, Almora – 263601
E-mail - cgrfalmora@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

कार्यालय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड
विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला परिसर
स्यालीधार, अल्मोड़ा – 263601
ई–मेल – cgrfalmora@gmail.com

उपस्थिति

1–चामू सिंह गस्याल, सदस्य न्यायिक
2–ओ०पी० दीक्षित, सदस्य तकनीकी
3–पुष्कर सिंह रावत, सदस्य उपभोक्ता

परिवाद संख्या – 21/2023–24

श्री रमेश चन्द्र जोशी
पता – केदार कॉलोनी,
टकाना, पिथौरागढ़। — परिवादी

बनाम्

अधिशासी अभियंता
विद्युत वितरण खण्ड
पिथौरागढ — विपक्षी

निर्णय

1. वादी ने अपनी शिकायत में बताया है कि उनके घर के आगे पोल लगा हुआ है जिसमें नंगे तार लगे हुए हैं जिस पर बार बार टेप लगाया जा रहा है। उन्होंने इसको ठीक करने का निवेदन किया है। प्रकरण को मंच के कार्यालय पत्र संख्या 278 दिनांक 13.10.2023 के द्वारा शिकायतकर्ता के प्रार्थनापत्र की प्रतिलिपि के साथ अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड पिथौरागढ़ को तथ्यात्मक विवरणों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये भेजा गया।
2. मंच की अंतिम सुनवाई तिथि दिनांक 03.11.2023 में विभाग की तरफ से उपस्थित श्री अमित चंद्रा उपखण्ड अधिकारी ने वादी का पत्र दिनांक 02.11.2023 प्रेषित किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि विभाग की तरफ से अवर अभियंता व लाइन मैन द्वारा स्थल का निरीक्षण कर बताया गया कि घरों के नजदीक से गुजरने वाले एलटी तारों को हटाकर सिंगल तार लगा दिया जाएगा जिससे वह संतुष्ट हैं।

आदेश

विभाग को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त प्रकरण पर कार्यवाही कर मंच के समक्ष 15 दिन के अंदर अनुपालन आख्या प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। वादी के संतुष्टि पत्र के दृष्टिगत प्रकरण को निस्तारित किया जाता है।

उभय पक्ष वाद को लेकर एक दूसरे से किसी तरह का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी 30 दिन के भीतर विद्युत लोकपाल, 80 वसन्त विहार देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील कर सकते हैं। आज यह निर्णय खुले फॉरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एव उदघोषित। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक – 03.11.2023

पुष्कर सिंह रावत **सदस्य उपभोक्ता**	**ओ०पी० दीक्षित** **सदस्य तकनीकी**	**चामू सिंह गस्याल** **सदस्य न्यायिक**

Office of Elect. Consumer Grievances Redressal Forum
Uttarakhand Power Corporation Ltd.
Electricity Testing Laboratory Campus
Syalidhar, Almora – 263601
E-mail - cgrfalmora@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

कार्यालय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड
विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला परिसर
स्यालीधार, अल्मोड़ा – 263601
ई–मेल – cgrfalmora@gmail.com

उपस्थिति

1–चामू सिंह गस्याल, सदस्य न्यायिक
2–ओपी० दीक्षित, सदस्य तकनीकी
3–पुष्कर सिंह रावत, सदस्य उपभोक्ता

परिवाद संख्या – 22/2023–24

श्री पीताम्बर तिवारी
ग्राम – गैना ऐंचोली,
पिथौरागढ़। — परिवादी

बनाम्

— विपक्षी

अधिशासी अभियंता
विद्युत वितरण खण्ड
पिथौरागढ़

निर्णय

1. वादी ने अपनी शिकायत में बताया है कि उनके मकान में दो दिन से विद्युत आपूर्ति बंद है। उनका मकान जंगल के समीप होने के कारण जंगली जानवरों का भय बना रहता है। उन्होंने विद्युत आपूर्ति बहाल करने का निवेदन किया है। प्रकरण को मंच के कार्यालय पत्र संख्या 284 दिनांक 16.10.2023 के द्वारा शिकायतकर्ता के प्रार्थनापत्र की प्रतिलिपि के साथ अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड पिथौरगढ़ को तथ्यात्मक विवरणों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये भेजा गया।
2. मंच की अंतिम सुनवाई तिथि दिनांक 03.11.2023 में विभाग की तरफ से उपस्थित श्री अमित चंद्रा उपखण्ड अधिकारी ने पत्र संख्या 2273 दिनांक 17.10.2023 के द्वारा बताया कि वादी के परिसर में स्थापित मापक जला पाया गया जिसे दिनांक 16.10.2023 को बदलकर नया मापक स्थापित कर दिया गया है। इस संबंध में वादी द्वारा दिनांक 16.10.2023 के पत्र द्वारा बताया गया कि उनकी शिकायत का निवारण 16.10.2023 को हो गया है तथा उनके परिसर की लाइट चालू हो गई है।

आदेश

विभाग द्वारा समस्या के निराकरण तथा वादी द्वारा अपनी संतुष्टि व्यक्त करने के दृष्टिगत प्रकरण को निस्तारित किया जाता है।
उभय पक्ष वाद को लेकर एक दूसरे से किसी तरह का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी 30 दिन के भीतर विद्युत लोकपाल, 80 वसन्त विहार देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील कर सकते हैं। आज यह निर्णय खुले फॉरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक – 03.11.2023

पुष्कर सिंह रावत सदस्य उपभोक्ता	ओ०पी० दीक्षित 03.11.2023 सदस्य तकनीकी	चामू सिंह गस्याल सदस्य न्यायिक

Scanned with CamScanner

Offic. of Elect. Consumer Grievances Redressal Forum
Uttarakhand Power Corporation Ltd.
Electricity Testing Laboratory Campus
Syalidhar, Almora – 263601
E-mail - cgrfalmora@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

कार्यालय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड
विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला परिसर
स्यालीधार, अल्मोड़ा – 263601
ई–मेल – cgrfalmora@gmail.com

उपस्थिति

1–चामू सिंह गरयाल, सदस्य न्यायिक
2–ओपी० दीक्षित, सदस्य तकनीकी
3–पुष्कर सिंह रावत, सदस्य उपभोक्ता

परिवाद संख्या – 23/2023–24

श्री राजदीप चन्द s/o स्व० चन्दी चन्द,
पता – दूतीबगढ़, पो० जौलजीबी
तह० धारचूला, जिला – पिथौरागढ़। परिवादी

बनाम्

विपक्षी

अधिशासी अभियंता
विद्युत वितरण खण्ड
धारचूला।

निर्णय

1. वादी ने अपनी शिकायत में बताया है कि उनके घर के आगे बिजली का पोल है जिससे घर में व परिवार वालों को खतरा बना रहता है। उन्होंने घर के आगे से पोल हटाने का निवेदन किया है। प्रकरण को मंच के कार्यालय पत्र संख्या 285 दिनांक 16.10.2023 के द्वारा शिकायतकर्ता के प्रार्थनापत्र की प्रतिलिपि के साथ अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खड धारचूला को तथ्यात्मक विवरणों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये भेजा गया।
2. मंच की अंतिम सुनवाई तिथि दिनांक 04.11.2023 में विभाग की तरफ से उपस्थित श्री अजय कुमार जोशी अवर अभियंता ने बताया कि पोल शिफ्टिंग के लिये विभाग द्वारा पहले से ही एक पॉलिसी निर्धारित है जिसके अनुसार प्रार्थी को पोल शिफ्ट करने के लिये उचित जगह/आरओडब्लू तथा शिफ्टिंग में आने वाली राशि को जमा करना होता है। उन्होंने बताया कि पोल शिफट करने के लिये प्राक्कलन बनाकर रूपए 22140 जमा करने के लिये प्रार्थी को भेज दिया गया है। प्रार्थी को उसके दूरभाष संख्या 9805175908 पर संपर्क कर उपरोक्त पॉलिसी के बारे में बताया गया। वादी ने बताया कि वह इतनी राशि जमा करने के बारे में सोच विचार करेंगे। विभाग ने बताया कि प्रार्थी द्वारा प्राक्कलन राशि जमा करने तथा शिफ्टिंग के लिये उचित जगह देने पर पोल शिफट कर दिया जाएगा।

आदेश

प्रार्थी को कहा जाता है किवह पोल शिफ्टिंग में आने वाली प्राक्कलन राशि रूपए 22140 जमा करें ताकि उचित जगह देने पर विभाग द्वारा पोल शिफ् किया जा सके।
उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण को निस्तारित किया जाता है।
उभय पक्ष वाद को लेकर एक दूसरे से किसी तरह का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी 30 दिन के भीतर विद्युत लोकपाल, 80 वसन्त विहार देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील कर सकते हैं। आज यह निर्णय खुले फॉरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक – 04.11.2023

पुष्कर सिंह रावत	ओ०पी० दीक्षित	चामू सिंह गरयाल
सदस्य उपभोक्ता	सदस्य तकनीकी	सदस्य न्यायिक

Off[illegible] of Elect. Consumer Grievances Redressal Forum
Uttarakhand Power Corporation Ltd.
Electricity Testing Laboratory Campus
Syalidhar, Almora – 263601
E-mail - cgrfalmora@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

कार्यालय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड
विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला परिसर
स्यालीधार, अल्मोड़ा – 263601
ई–मेल – cgrfalmora@gmail.com

उपस्थिति

1–चामू सिंह गरयाल, सदस्य न्यायिक
2–ओपी० दीक्षित, सदस्य तकनीकी
3–पुष्कर सिंह रावत, सदस्य उपभोक्ता

परिवाद संख्या – 25/2023–24

श्रीमती भावना भट्ट पत्नी श्री हरीश चन्द्र भट्ट
पता – भदेलवाड़ा पो० ऐंचोली,
टकाना, पिथौरागढ़। परिवादी

बनाम्

अधिशासी अभियंता
विद्युत वितरण खण्ड
पिथौरागढ़ विपक्षी

निर्णय

1. वादी ने अपनी शिकायत में बताया है कि उनके मकान के आगे से बिजली की लाइन गई है जिसमें हवा की वजह से अर्थ के तार का अन्य तारों से टकराने से स्पार्किंग होती है जिससे जान माल का खतरा है। प्रकरण को मंच के कार्यालय पत्र संख्या 299 दिनांक 23.10.2023 के द्वारा शिकायतकर्ता के प्रार्थनापत्र की प्रतिलिपि के साथ अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड पिथौरागढ़ को तथ्यात्मक विवरणों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये भेजा गया।
2. मंच की अंतिम सुनवाई तिथि दिनांक 03.11.2023 में विभाग की तरफ से उपस्थित श्री अमित चंद्रा उपखण्ड अधिकारी ने बताया कि वादी की तरफ से एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसके अनुसार वादी ने सूचित किया है कि विभाग के कर्मचारियों द्वारा शिकायत का निवारण कर दिया गया है तथा वह इस कार्य से संतुष्ट हैं। विभाग ने उपरोक्त पत्र की प्रतिलिपि मंच के समक्ष प्रस्तुत की है।

आदेश

विभाग द्वारा समस्या के निराकरण तथा वादी द्वारा अपनी संतुष्टि व्यक्त करने के दृष्टिगत प्रकरण को निस्तारित किया जाता है।

उभय पक्ष वाद को लेकर एक दूसरे से किसी तरह का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नही होने पर परिवादी 30 दिन के भीतर विद्युत लोकपाल, 80 वसन्त विहार देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील कर सकते हैं। आज यह निर्णय खुले फॉरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक – 03.11.2023

पुष्कर सिंह रावत
सदस्य उपभोक्ता

3/11/2023
ओ०पी० दीक्षित
सदस्य तकनीकी

चामू सिंह गरयाल
सदस्य न्यायिक

Office of Elect. Consumer Grievances Redressal Forum
Uttarakhand Power Corporation Ltd.
Electricity Testing Laboratory Campus
Syalidhar, Almora – 263601
E-mail - cgrfalmora@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

कार्यालय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड
विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला परिसर
स्यालीधार, अल्मोड़ा – 263601
ई–मेल – cgrfalmora@gmail.com

उपस्थिति

1–चामू सिंह गरयाल, सदस्य न्यायिक
2–ओपी0 दीक्षित, सदस्य तकनीकी
3–पुष्कर सिंह रावत, सदस्य उपभोक्ता

परिवाद संख्या – 204 / 2023–24

श्री हीरा राम,
ग्राम व पो0 गुड़ौली वि0ख0 कनालीछीना,
पिथौरागढ़। — परिवादी

बनाम्

अधिशासी अभियंता
विद्युत वितरण खण्ड
पिथौरागढ — विपक्षी

निर्णय

1. वादी ने अपनी शिकायत में बताया है कि वह बीपीएल परिवार के मुखिया हैं अतः उन्हें एक बीपीएल कनेक्शन स्वीकृत करने की कृपा करें। प्रकरण को मंच के कार्यालय पत्र संख्या 263 दिनांक 29.05.2023 के द्वारा शिकायतकर्ता के प्रार्थनापत्र की प्रतिलिपि के साथ अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड पिथौरगढ़ को तथ्यात्मक विवरणों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये भेजा गया।

2. मंच की अंतिम सुनवाई तिथि दिनांक 03.11.2023 में विभाग की तरफ से उपस्थित श्री अमित चंद्रा उपखण्ड अधिकारी ने बताया कि संयोजन पीटी14359037159 वादी के भाई श्री खरग राम के नाम से है जो कि एपीएल श्रेणी में है। जिसे वादी अपने नाम कराने के साथ इसकी श्रेणी एपीएल से बीपीएल कराना चाहते हैं

3. उन्होंने वादी को सलाह दी है कि नाम परिवर्तित करने के लिये पंजीकृत उपभोक्ता श्री खरग राम से एनओसी के साथ परिसर का वैध मालिकाना कब्जा के दस्तावेज प्रस्तुत करें। उन्होंने बताया कि एपीएल से बीपीएल श्रेणी परिवर्तित करने के लिये सक्षम अधिकारी (वीडीओ) के प्रमाणपत्र के साथ अन्य व्यावसायिक औपचारिकताएं पूर्ण करने के पश्चात संयोजन की श्रेणी परिवर्तित कर दी जाएगी।

आदेश

वादी का कहा जाता है कि वर्तमान में स्थापित एपीएल संयोजन को बीपीएल में बदलने तथा अपने नाम परिवर्तित कराने के लिये सक्षम अधिकारी से बीपीएल प्रमाणपत्र के साथ अन्य व्यावसायिक औपचारिकताएं पूरी करने के लिये विभाग के अधिशासी अभियंता / उपखण्ड अधिकारी से संपर्क करें। विभाग को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त औपचारिकताएं पूर्ण होने पर संयोजन की श्रेणी तथा नाम परिवर्तन वरीयता के आधार पर किया जाए।
उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण को निस्तारित किया जाता है।

03/11/2023

उभय पक्ष वाद को लेकर एक दूसरे से किसी तरह का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी 30 दिन के भीतर विद्युत लोकपाल, 80 वसन्त विहार देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील कर सकते हैं। आज यह निर्णय खुले फॉरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक – 03.11.2023

पुष्कर सिंह रावत	**ओ0पी0 दीक्षित**	**चामू सिंह गर्ब्याल**
सदस्य उपभोक्ता	**सदस्य तकनीकी**	**सदस्य न्यायिक**

Office of Elect. Consumer Grievances Redressal Forum
Uttarakhand Power Corporation Ltd.
Electricity Testing Laboratory Campus
Syalidhar, Almora – 263601
E-mail - cgrfalmora@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

कार्यालय विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड
विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला परिसर
स्यालीधार, अल्मोड़ा – 263601
ई–मेल – cgrfalmora@gmail.com

उपस्थिति 1–चामू सिंह गस्याल, सदस्य न्यायिक
2–ओपी० दीक्षित, सदस्य तकनीकी
3–पुष्कर सिंह रावत, सदस्य उपभोक्ता

परिवाद संख्या – 07 / 2023–24

श्रीमती तुलसी देवी पत्नी श्री तेज सिंह
ग्राम व पो० – ख्वातड़ी, परिवादी
पिथौरागढ़।

बनाम्

अधिशासी अभियंता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड
पिथौरागढ़

निर्णय

1. वादी ने अपनी शिकायत में बताया है कि उनके घर में तीन बल्ब तथा एक टीवी है। उनकी पिछली रीडिंग 1860 थी तथा वर्तमान रीडिंग 2648 दर्शाई गई है। उन्होंने अधिक रीडिंग आने की जांच कर आवश्यक कार्यवाही का निवेदन किया है। प्रकरण को मंच के कार्यालय पत्र संख्या 239 दिनांक 01.08.2023 के द्वारा शिकायतकर्ता के प्रार्थनापत्र की प्रतिलिपि के साथ अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड पिथौरागढ़ को तथ्यात्मक विवरणों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये भेजा गया।
2. मंच की अंतिम सुनवाई तिथि दिनांक 03.11.2023 में विभाग की तरफ से उपस्थित अधिशासी अभियंता पिथौरागढ़ मय श्री अमित चंद्रा उपखण्ड अधिकारी उपस्थित हुए। उन्होंने बताया कि यह प्रकरण स्टोर रीडिंग से संबंधित है। जिसको संबंधित अवधि में तत्कालीन टैरीफ स्लैब का लाभ देते हुए तथा रूपए 4150 का समायोजन करके नेट बिल 1897 बनता है। वादी का पक्ष जानने के लिये उनसे दूरभाष पर बात की गई। उन्होंने बताया कि वह एक गरीब महिला हैं तथा इतना भारी भरकम बिल एक साथ जमा करने में असमर्थ हैं।

आदेश

विभाग को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त बिल राशि 1897 रूपए को समान 8 माहवार किश्तों के साथ करंट बिल का भुगतान करने की सुविधा वादी का दी जाए।

उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण को निस्तारित किया जाता है।

उभय पक्ष वाद को लेकर एक दूसरे से किसी तरह का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी 30 दिन के भीतर विद्युत लोकपाल, 80 वसन्त विहार देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन / अपील कर सकते हैं। आज यह निर्णय खुले फॉरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उदघोषित। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक – 03.11.2023

पुष्कर सिंह रावत	**ओ0पी0 दीक्षित**	**चामू सिंह गस्याल**
सदस्य उपभोक्ता	**सदस्य तकनीकी**	**सदस्य न्यायिक**